न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –6/2017 जिला सीकर

1. श्रीमती लाडा देवी धर्मपत्नी स्व. श्री नानछा , जाति अहीर, आयु 50 वर्ष, निवासी ग्रम दयाल का नांगल , तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
2. बलवीर गेलड पुत्र स्व. श्री नानछा , जाति अहीर, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्रम दयाल का नांगल तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
3. कृष्ण पुत्र स्व. श्री नानछा, जाति अहीर, आयु 8 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती लाडा देवी निवासी ग्रम दयाल का नांगल, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
4. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री नानछा, जाति अहीर, आयु 8 वर्ष जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती लाडा देवी , निवासी ग्रम दयाल का नांगल, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती सरोज पत्नी श्री अर्जुन पुत्री श्री नागर जाति अहीर, आयु वयस्क, निवासी ग्रम दयाल का नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर । हाल निवासी मुकाम खारिया पोस्ट डोकन तहसील पाटन जिला सीकर (राज.)
2. श्रीमती सुरेश पत्नी श्री छैलूराम पुत्रीर श्री नागर जाति अहीर, आयु वयस्क, निवासी ग्रम दयाल का नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर । हाल निवासी मुकाम ढाणी मालावाली पोस्ट भूदोली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
3. श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री लालराम पुत्री नागर, जाति अहीर, आयु वयस्क, निवासी ग्रम दयाल का नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर । हाल निवासी मुकाम ढाणी मालावाली पोस्ट भूदोली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
4. श्रीमती सुमन पत्नी प्रहलाद पुत्री स्व. श्री नानछा जाति अहीर, हाल निवासी ढाणी रंजीवाला पोस्ट सिहोड तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)
5. श्रीमती मनोज पत्नी प्रकाश पुत्री स्व. श्री नानछा जाति अहीर हाल निवासी ढाणी रंजीवाला पोस्ट सिहोड तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, तहसील कार्यालय नीमकाथाना, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 26.10.2016 जिसके द्वारा नामांतरकरण संख्या 431 व 432 को निरस्त कर मृतक रूडा पुत्र नागर की विरासत का नामांतरकरण उसकी बहनों सरोज, सुरेश व शकुन्तला के नाम खोले जाने का आदेश पारित किया है ।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राकेश शेखावत
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 श्री बजरंग लाल चौधरी

निर्णय

दिनांक– 14.3.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 26.10.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम दयाल की नांगल, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 459, 673/2 कुल किता 2 रकबा 0.63 हैक्टेयर का खातेदार लालू राम पुत्र गोमा राम अहीर था जिसके फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 431 नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने नानचा पुत्र लालू राम के नाम दिनांक 20.1.1993 को स्वीकार किया गया एवं आराजी खसरा नम्बर 332, 461, 463, 464 , 466, 467, 468, 653, 657, 658, 662, 663, 664,

665, 671 कुल किता 15 कुल रकबा 7.90 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 460 रकबा 0.25 हैक्टेयर के खातेदार नानचा पुत्र लालू एवं रूडा पुत्र नागर थे जिनमें से खातेदार रूडा पुत्र नागर अहीर (अविवाहित) के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 432 नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने मृतक रूडा के पिता नागर के भाई नानचा पुत्र लालू यानी रूडा के चाचा के नाम दिनांक 5.5.1993 को तस्दीक कर दिया ।

उक्त दोनों नामांतरकरण संख्या 431 एवं 432 के खिलाफ नागर की पुत्रियॉ एवं मृतक रूडा की बहिने सरोज, सुरेश एवं शकुन्तला ने पृथक पृथक दो अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो निर्णय दिनांक 30.9.99 द्वारा खातेदार रूडा के लाऔलाद फौत होने एवं तीन बहनों को बिना नोटिस दिये व बिना सुने तथा बिना वारिसान की जॉच किये नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने मृतक नागर के चाचा नानचा पुत्र लालू के नाम स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 431 वं 432 को नियम विरूद्ध एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रहने योग्य नहीं मानते हुये स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त किये गये एवं प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को मृतक रूडा के वैधानिक वारिसान की पुनः जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 30.9.99 की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2016 द्वारा मृतक रूडा की वंशावली में गोमा के लालू होना एवं लालू के दो पुत्र नागर व नानचा होना, नागर के एक पुत्र रूडा व तीन बहिने सुरेश, शकुन्तला व सरोज होना तथा रूडा के नाऔलाद फौत होने पर रूडा की विधिक वारिस उसकी बहिने यथा सुरेश, शकुन्तला व सरोज ही होने से रूडा की विरासत के नामांतरकरण उसकी बहिने सरोज, सुरेश व शकुन्तला पुत्रियॉ नागर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं । तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 26.10.2016 के खिलाफ लाडा देवी धर्मपत्नि नानचा वगैहरा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 26.10.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अति. जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 30.9.99 से प्रकरण मृतक रूडा के वैधानिक वारिसान की जॉच कर पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को प्रतिप्रेषित किया था । ग्रम पंचायत द्वारा दिये गये वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार लालू राम की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र नागर व नानचा को प्राप्त हुई । नागर ने अपने जीवनकाल में विवादग्रस्त भूमि की प्रथम और अंतिम वसियत रूडाराम के नाम की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने नागर द्वारा की गई वसियत के प्रभाव के बारे में अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया । उनका कहना था कि विवादित भूमि पैतृक भूमि थी जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रत्येक पुरूष सदस्य का बराबर बराबर का हक व हिस्सा होता है । उनका कहना था कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन दिनांक 9 सितम्बर 2005 से पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं का बराबर का हक व हिस्सा होना प्रभावी किया है । नागर व रूडाराम की मृत्यु वर्ष 2005 से पूर्व ही होने से विवादित भूमि में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 का कोई हक व अधिकार नहीं है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजरन्दाज करते हुये रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 को एकमात्र विधिक वारिस मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 ने विवादित भूमि के संबंध में घोषणा का एक वाद न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों के मध्य अधिकारों की धोषणा के वाद के विचाराधीन रहते नामांतरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग को वाद निर्णय तक स्थगित रखना चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं कर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम नामांतरकरण किये जाने का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि दौराने अपील नानचा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश में इस बाबत कोई उल्लेख किये बिना मृतक को जिन्दा मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विवादित भूमि नागर की खातेदारी की थी जिसकी मृत्यु के पश्चात् नागर की भूमि के संबंध में विवाद उसके विधिक वारिसान के मध्य होता है जिसमें उनकी पत्नी जानकी देवी व पुत्र रूडाराम तथा पुत्रियॉ

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 हुई । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा नागर की विरासत के नामांतरकरण को चुनौती नहीं दिये जाने से उक्त भूमि के विधिक वारिसान नागर की पत्नी जानकी देवी , पुत्र रूडाराम हुये । जानकी देवी का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनकी पुत्रियॉ रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 व 5 तथा पति नानचा हुये । विवादित भूमि में नानचा की हिस्सेदारी होने के बावजूद अकेले रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 को विधिक वारिस मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम विपक्षीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड में राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने एवं भूमि दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने के उद्देश्य से भूमि दिखाने पर हुआ ओर नकल प्राप्त कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है, जो स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 26.10.2016 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि सजरा खानदान के अनुसार गोमाराम के लालू हुआ एवं लालू के दो पुत्र नागर व नानचा हुए , नागर के एक लडका रूडा व तीन बेटियां सरोज, सुरेश व शकुन्तला हुई । पटवारी हल्का द्वारा मृतक रूडा के विधिक वारिसानों की जॉच कर तहसीलदार को रिपोर्ट पेश की थी जिसमें भी गोमा के एक पुत्र लालू व लालू के दो पुत्र नागर व नानचा तथा नागर की पत्नि जानकी द्वारा नागर के फौत होने पर नानचा का चूडा पहन लिया था जिसके नागर से एक पुत्र रूडा व तीन पुत्रियॉ सुरेश, शकुन्तला व सरोज होना अंकित किया है तथा इसकी पुष्टि प्रशासन ग्रम पंचायत दयाल की नांगल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 26.4.2016 से होती है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 की प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ प्रस्तुत अपील को न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 30.9.99 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को मृतक रूडा के वैधानिक वारिसान की पुनः जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किये जाने पर तहसीलदार नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2016 बाद जॉच पारित कर मृतक रूडा पुत्र नागर की विरासत का नामांतरकरण उसकी बहने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 सरोज, सुरेश व शकुन्तला पुत्रियॉ नागर के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के समर्थन में प्रस्तुत धाा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विलम्ब के संबंध में विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति नहीं किये जाने पर लचिला रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार रूडा पुत्र नागर के अविवाहित फौत होने पर उसकी विरासत का है । मृतक रूडा की विरासत के नामांतरकरण संख्या 431 एवं 432 नानचा पुत्र लालू के नाम नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने दिनांक 20.1.93 एवं 5.5.93 को स्वीकार किये गये हैं जिनके खिलाफ नागर की पुत्रियॉ एवं मृतक रूडा की बहिने सरोज, सुरेश एवं शकुन्तला की अपीलें न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 30.9.99 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को मृतक रूडा के वैधानिक वारिसान की पुनः जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । अति. कलक्टर के उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2016 द्वारा मृतक रूडा की वंशावली में गोमा के लालू होना एवं लालू के दो पुत्र नागर व नानचा होना, नागर के एक पुत्र रूडा व तीन बहिने सुरेश, शकुन्तला व सरोज होना तथा रूडा के नाऔलाद फौत होने पर रूडा की विधिक वारिस उसकी बहिने यथा सुरेश, शकुन्तला व सरोज ही होने से रूडा की विरासत के नामांतरकरण उसकी बहिने सरोज, सुरेश व शकुन्तला पुत्रियॉ नागर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि मृतक खातेदार रूडा के अविवाहित फौत होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश से रूडा की बहनों के नाम नामांतरकरण करने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक कारण नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अपीलान्ट्स के यदि विवादित भूमि में कोई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिकार बनते हैं तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर